<u>न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना</u>

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2013/36** दायर दिनांक **12.02.2013**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सायरकँवर पत्नी स्व0 ईश्वरसिंह, उम्र–80साल (फौत), 2. पिरागकँवर पुत्र ईश्वरसिंह, उम्र–58साल, जाति–राजपूत, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूकमणी पत्नी स्व0 पीथाराम, 2. गणेशाराम पुत्र पीथाराम, 3. भींवाराम पुत्र पीथाराम, 4. रामूराम पुत्र पीथाराम, 5. हरजीराम पुत्र पीथाराम, 6. लूणाराम पुत्र मेगाराम, 7. हनुमान पुत्र मेगाराम, जाति–जाट, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक **16.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद मामड़ोद में पुराना खेत खसरा नम्बर 227 रकबा 33.13 बीघा भूमि जागीरदार समन्दरसिंह तीतरी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 227 रकबा 17.12 बीघा, खसरा नम्बर 227/292 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 227/293 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 227/294 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नम्बर 227/295 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 227/296 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 227/297 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 227/298 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 227/299 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 227/300 रकबा 01.00 बीघा, खसरा नम्बर 227/301 रकबा 0.17 बीघा है जिसकी खतौनी सम्वत् 2006, खसरा मिलान, ट्रेस नक्शा की छायाप्रतियां व वर्तमान खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है।

पुराना खसरा नम्बर 227 रकबा 33.13 बीघा की भूमि तत्कालील जागीरदार समन्दरसिंह तीतरी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, तब वादीगण के श्वसुर व दादा स्व0 भूरसिंह ने उक्त खसरान् में से कुछ भूमि बाड़े के रूप में गाय, भैंस, पूस आदि रखने के लिए तब तत्कालीन जागीरदार ने उक्त खसरा में से अलग–अलग व्यक्तियों को उक्त खेतों में से भूमि बाड़े हेतु थी तब से उक्त भूमि पर वादीगण के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

श्वसुर व दादा स्व0 भूरसिंह व अन्य व्यक्तियों के कब्जा, आधिपत्य व अधिकार में रही। जिन बाड़ों के वादीगण व अन्य काबिज व्यक्तियों द्वारा मिट्टी की डोल बाड़, पट्टियों से सीमाबन्दी कर ली। मगर उक्त भूमि का रकबा कम होने से राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं हो सकी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। मगर उक्त खसरा नम्बर 227/296 रकबा 0.12 बीघा बाड़े की भूमि पर वादीगण का कब्जा तीन पीढियों से चला आ रहा है। इसलिए वादीगण का खसरा नम्बर 227/296 की रकबा 0.12 बीघा भूमि पर एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) पिढियों से होने से वादीगण को घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया है।

पुराना खेत खसरा नम्बर 227 रकबा 33.13 बीघा की भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 227 रकबा 17.12 बीघा व खसरा नम्बर 227/296 रकबा 0.12 बीघा भूमि आबादी के एकदम चिपते ही होने से वर्तमान समय में उक्त खसरा नम्बर 227 में करीब 30–40 घरों की आबादी बस चुकी है जिनके घरों में बिजली के कनैक्शन व पक्के मकानात् भी बन चुके हैं तथा उक्त भूमि में मन्दिर भी है। वादग्रस्त भूमि काबिल काश्त नहीं रही। इसलिए हर साल उक्त भूमि में आने–जाने के रास्ते भी हर तरफ मौके पर आज भी अवस्थित है जिस भूमि का नजरीनक्शा न्यायालय हाजा की जानकारी हेतु प्रस्तुत है, जो दावा का अहम हिस्सा है जिसे अनुसूची "अ" से दर्शाया गया है।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 227/296 रकबा 0.12 बीघा बाड़े की भूमि पर वादीगण के श्वसुर व दादा के समय यानि करीब 70–80 वर्षों से कब्जे व आधिपत्य में रही है जिसमें समय–समय पर मिट्टी की डोल व बाड़ से सीमा कर रखी है तब प्रतिवादीगण आमादा–फिसाद हुए व वादीगण को एलानियां धमकी दी कि आप को उक्त बाड़े से बेदखल कर देंगे या उक्त भूमि का बैचाण किसी भू–माफिया को कर देंगे। यदि वादीगण को उसके कब्जे व आधिपत्य की भूमि से बेदखल या बैचाण कर दिया तो वादीगण को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी इसलिए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना लाजमी आया है।

विनाय दावा दिनांक 30.12.2012 को वादीगण को उसके कब्जेकाश्त सुद भूमि से बेदखल करने की धमकी देने व दिनांक 22.01.2013 को राजस्व रिकॉर्ड की नकलें लेने पर हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

सरहद मामड़ोदा खेत खसरा नम्बर 227/296 रकबा 0.12 बीघा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 08 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ।

वाद के समर्थन में वादीगण का शपथ–पत्र, जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2067–2070, जमाबन्दी सम्वत् 2006 की छायाप्रति,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व–वाद, संख्या 2013/36
दायर दिनांक 12.02.2013, निर्णय दिनांक 16.06.2017
सायरकँवर, वगैरा बनाम् रूकमणी, वगैरा।

खसरा पत्रक सम्वत् 2018 की छायाप्रति, नक्शा ट्रेश सन् 1960–61 की छायाप्रति वाद के साथ पेश हुई।

वादीगण संख्या 01 सायरकँवर का स्वर्गवास दिनांक 02.02.2014 को होने का प्रमाण–पत्र न्यायालय में पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वादीगण संख्या 01 के स्वर्गवास होने के बाद वादीगण संख्या 02 पिरागकँवर ही कामय मुकाम होने से, वादीगण संख्या 01 सायरकँवर का नाम बतौर वादीगण संख्या 01, विलोपित किया गया।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीनी सायरकँवर की कायम मुकाम व वादीनी संख्या 02 ने प्रार्थना–पत्र पेश कर दावा को वाद अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से मौका रिपोर्ट ली गयी, रिपोर्टानुसार प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का उक्त विवाग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। तहसीलदार डीडवाना की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 12.06.2017 को स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

चूँकि तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 या किसी अन्य का कब्जा नहीं है। वादीनी दावा पेश करती है कि वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं जबकि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर वादीनी का कब्जा कदीमी है।

इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि पर वादीनी के कब्जे व दस्तावेजात् के आधार पर वादीनी का वाद डिक्री किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः बाद विवचेन, वाद वादीनी, स्वीकार किया जाकर डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद मामड़ोदा में खेत खसरा नम्बर 227/296 रकबा 0.12 बीघा का वादीगण संख्या 02 पिरागकँवर को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादीगण संख्या 02 पिरागकँवर के कब्जा व खातेदारी की भूमि में किसी तरह का हस्तक्षेप अथवा दखल अन्दाजी नहीं करे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर
(उत्तमसिंह शेखावत)
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा

निर्णय आज दिनांक 16.06.2017 को कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उत्तमसिंह शेखावत)
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2013/36

दायर दिनांक 12.02.2013

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सायरकँवर पत्नी स्व0 ईश्वरसिंह, उम्र–80साल (फौत), 2. पिरागकँवर पुत्र ईश्वरसिंह, उम्र–58साल, जाति–राजपूत, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूकमणी पत्नी स्व0 पीथाराम, 2. गणेशाराम पुत्र पीथाराम, 3. भींवाराम पुत्र पीथाराम, 4. रामूराम पुत्र पीथाराम, 5. हरजीराम पुत्र पीथाराम, 6. लूणाराम पुत्र मेगाराम, 7. हनुमान पुत्र मेगाराम, जाति–जाट, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T. Act.

दिनांक 16.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद मामड़ोदा में खेत खसरा नम्बर 227/296 रकबा 0.12 बीघा का वादीगण संख्या 02 पिरागकँवर को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण संख्या 02 पिरागकँवर के कब्जा व खातेदारी की भूमि में किसी तरह का हस्तक्षेप अथवा दखल अन्दाजी नहीं करे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

खर्चा इस नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.06.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा

Scanned by CamScanner